PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan, Delhi
Saturday 1st March 2014, Page: 5
Width: 12.93 cms, Height: 12.97 cms, a4, Ref: pmin.2014-03-01.53.24

46 दवाओं की बिक्री पर केंद्र सरकार ने शनिवार से लगाई रोक

पुरानी पर्ची पर बार-बार नहीं खरीद सकेंगे दवाई

सख्ती

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

केंद्र सरकार ने शेड्यूल एचवन के अंतर्गत आने वाली 46 दवाओं की बिक्री के संबंध में नए नियम बनाए हैं। अब शनिवार से इन दवाओं को बार-बार एक ही पर्चे पर नहीं खरीदा जा सकेगा। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री पर भी लगाम लगेगी।

केंद्र सरकार ने शेड्यूल एच वन केटेगरी में ऐसी दवाएं शामिल की हैं जिनका इस्तेमाल अधिकतर मरीज डॉक्टर की सलाह बिना ही कर लेते हैं। ऐसे में यह फैसला अहम माना जा रहा है। इसके साथ दवा विक्रेताओं को भी अब दी गई दवा के दो बिल रखने होंगे। इससे सरकार के पास इस बात की पूरी जानकारी पहुंचेगी कि किस दवा का किस तरह इस्तेमाल कैसे हो रहा है।

मरीज और उसकी दवा का ब्यौरा दवा विक्रेताओं को कंप्यूटर में दर्ज करना होगा। दिल्ली डायबिटीक फोरम के डॉ. एके झिंगन कहते हैं कि इससे मरीजों में बेवजह दवाएं खाने की आदत कम होगी।

क्या होगा बदलाव

- ब्लडप्रेशर की दवा और एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं मिलेगी
- एक ही पर्चे पर लिखी दवा बार-बार नहीं खरीद सकेंगे
- हर बार दवा लेने के लिए नई तारीख का नया पर्चा बनवाना होगा
- दो बिल रखने की अनिवार्यता की वजह से दवा विक्रेता टैक्स से नहीं बच पाएंगे
- एंटीबायोटिक दवाओं के अधिक प्रयोग को रोकने के लिए नहीं होगी ओवर द काउंटर बिक्री

विरोध करेंगे फार्मासिस्ट

दिल्ली फार्मासिस्ट एसोसिएशन के डॉ. कैलाश गुप्ता कहते हैं कि नए शेड्यूल से कई व्यवहारिक दिक्कतें होंगी। गांव में रहने वालों को बार-बार शहर आकर चिकित्सक से दवा लिखानी होगी। दवा विक्रेता संगठन बैठक कर इसका विरोध करेंगे।

GA